



2026:AHC:124931

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18963 / 2026

नरेश

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुनील कुमार तिवारी

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., पल्लवी रानी

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार तिवारी, प्रथम सूचनादाता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री पल्लवी रानी, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री ओ.पी. सिंह को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, आवेदक अंकित सिंह को मुकदमा अपराध संख्या 038/2025 अंतर्गत धारा 103, 351(2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - कीथोर, जिला - मेरठ में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि एफआईआर दो दिन के विलंब से दर्ज की गई है और घटना की तिथि के संबंध में एफआईआर के विवरण और चश्मदीदों के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि एफआईआर के अनुसार घटना 25.01.2025 की शाम लगभग 9:00 बजे हुई थी, जबकि चश्मदीदों वेदपाल, अंकित और प्रभाष ने धारा 180 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज बयान में कहा है कि घटना 26.01.2025 की

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुबह हुई थी। आवेदक 27.01.2025 से जेल/कारागार में है और आवेदक का तीन मामलों का आपराधिक इतिहास है, सभी लापरवाही से वाहन चलाने के मामूली अपराधों से संबंधित हैं। आवेदक पेशे से चालक है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और यह प्रस्तुत किया है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम 26.01.2025 को प्राप्त हुआ था, इसलिए एफआईआर अगली तिथि को दर्ज की गई थी और इस प्रकार एफआईआर दर्ज करने में हुई बिलंब का स्पष्टीकरण दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपों का समर्थन किया है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया है कि चश्मदीदों ने आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध के आरोपों का समर्थन किया है। आवेदक के सौजन्य से अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार, लाठी और डंडा बरामद किए गए हैं। घटना 26.01.2025 से 27.01.2025 के बीच की बताई जा रही है।

6. एफआईआर के अनुसार, आवेदक और सह-अभियुक्त ने प्रथम सूचनादाता की संपत्ति ले ली थी। इसके बाद, प्रथम सूचनादाता को सूचना मिली कि वे उस पर हमला कर रहे हैं। जब प्रथम सूचनादाता उसकी तलाश में पहुंचा, तो उसने देखा कि आवेदक और सह-अभियुक्त उस पर हमला कर रहे थे और वह मृत पाया गया इसके बाद वह वहां से भाग गया। चश्मदीदों, वेदपाल, अंकित और प्रभाष ने धारा 180 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज बयान में कहा है कि घटना 26.01.2025 की सुबह घटी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर घटना की तिथि और समय को लेकर महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर 14 चोटें थीं, जो खरोंच, नील और रगड़ से बनी चोटों की श्रेणी में आती हैं। मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व लगी चोट है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. सम्पूर्ण तथ्यों, उनकी प्रकृति और अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात और मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **नरेश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये के एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप विरचित और (iii) धारा 351 बी.एन.एस.एस. अंतर्गत बयान दर्ज।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात मात्र इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से मामले गुण-दोषों पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जून 1, 2026

इम्तियाज

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।